न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. – /2015 निगरानी 474-II/15

1. श्रीमती गुणवंती बाई चावडा पत्नी स्व. गोपालजी चावडा,
आयू लगभग 75 वर्ष, व्यवसाय – गृहकार्य,
निवासी – 1, कवेलू कारखाना, नीलगंगा, उज्जैन ।
हाल मुकाम–फ्लेट क्र.16, एस विंग, गुदावरी राज पार्क
मोरया गोसावी फेस–1, चिंचवड पुणे, महाराष्ट्र ।
2. श्रीमती सुनीता पत्नी श्री धनश्यामजी परमार,
आयू लगभग 45 वर्ष, व्यवसाय – गृहकार्य,
निवासी – इंद्रपुरी सोसाइटी, जूना दरबार,
वसंदा, नवसारी, गुजरात । ------ आवेदकगण

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा श्रीमान जिलाधीश महोदय,
कोठी पेलेस, उज्जैन ।
2. कमलकिशोर पिता स्व. सुभाषचंद्रजी तिवारी,
आयू लगभग 35 वर्ष, व्यवसाय – वकालत,
निवासी – सेक्टर डी, , विवेकानंद कालोनी, उज्जैन ।
------ अनावेदकगण

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 8 के अंतर्गत याचिका

अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील व जिला उज्जैन (श्री सुनील पाटिल) के द्वारा प्रकरण क्रमांक 51/अ–6/2013–14 कमलकिशोर वि. मध्य प्रदेश शासन आदी में पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 31.12.14 से क्षुब्ध होकर निम्नलिखित आधारों पर यह याचिका निम्नुसार सादर प्रस्तुत की जा रही है।

माननीय महोदय,

संक्षेप में प्रकरण निम्नानुसार है कि आवेदिका क्र.–1 के स्वर्गीय ससुर एवं चाचा ससुर, स्व. गोविंदजी भाई एवं मंजी भाई द्वारा कस्बा उज्जैन की भूमि सर्वे क्र. यह कि रेस्पांडेट कमांक 3 आदि द्वारा पुर्णतः असत्य आधारो पर कस्बा उज्जैन प.ह.न. 38 के सर्वे कमांक 3632/1, 3632/3, 3633, 3634/1, 3634/4, 3636, 3678, 3683/4, 3679, 3680, 3683/2, 3681, 3682, 3683/1–मि., 3683/3, 3685मि. , 3686मि., 3695, 3697, 3698, 3708, 3709, 3710 कुलकिता 23 कुल रकबा 25.198 हेक्टेयर भूमि तात्कालीन शासन द्वारा डिप्टी कमिश्नर, कस्टम एण्ड एक्साइज़, प्रांत मालवा, ग्वालियर गवरमेंट के द्वारा की गई सार्वजनिक नीलामी में 1930 में क्रय की गई ।

कालांतर में स्व. गोविंदजी भाई एवं मंजी भाई की ...

(25)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

--

प्रकरण क्रमांक निगरानी 474–दो/2015 जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09–6–2015	आवेदक की ओर से सूचना उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं। पूर्व पेशी दिनांक 09–3–15 को आवेदक अभिभाषक उपस्थित थे। आवेदक एवं उनके अभिभाषक की तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से श्री सीताराम मदरोसिया अभिभाषक ने उपस्थित होकर एक आवेदन प्रकरण को निरस्त किये जाने बावत पेश किया। अनावेदक अभिभाषक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष हुई अपील प्रकरण के दस्तावेजों की फोटोप्रति प्रस्तुत अवगत कराया कि तहसीलदार के इसी आदेश जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष भी अपील प्रस्तुत कर दो न्यायालयों में एक ही आदेश को चुनौती दी गई है, अतः इस निगरानी को निरस्त किया जाये। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी तहसीलदार के अंतिम आदेश दिनांक 31–12–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदक एवं उनके अभिभाषकों को कई बार पुकार लगाई गई। सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	